#### RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033 Phone: 0141-2795527, 2795550; Fax: 0141-2795550 Website: www.ruhsraj.org

DIRECT RECRUITMENT OF DRUG CONTROL OFFICER
IN DRUG CONTROL ORGANIZATION, RAJASTHAN
MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT, GOVT. OF RAJASTHAN

#### **DRUG CONTROL OFFICER RECRUITMENT EXAMINATION 2013**

#### **Information Booklet**

Refer RUHS website (www.ruhsraj.org) for updated and relevant information.

Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur invites on-line applications in compliance of the order no. P9(24)(M&H)/2/2011 dated 03.07.2013 of Medical & Health Department (Gr.-2), Govt. of Rajasthan, for direct recruitment of Drug Control Officer in Drug Control Organization, Rajasthan.

Please read carefully

- 1) Notification
- 2) Information booklet
- 3) Instructions for filling the on-line application form
- 4) Syllabus etc.

available at the website, before you start filling the application form, on-line.

#### **IMPORTANT DATES**

Start date for filling of on-line application form at RUHS website	27.08.2013
Last date for submitting the on-line application form at RUHS website	16.09.2013 (12.00 midnight)
Date of examination	To be intimated later.
Receipt of printout of the on-line application form (along with RUHS copy of bank challan and all relevant documents)	To be intimated later.

#### APPLICATION FEE

All candidates have to pay non-refundable application fee of Rs. 3000/- (Rs. 1500 for SC, ST category) through bank challan at any branch of Oriental Bank of Commerce.

The application fee is neither refundable, nor transferable and nor adjustable for any other recruitments. Any plea in this matter shall not be entertained.

#### **ELIGIBILITY CRITERIA**

#### 1. Educational Qualification

A Degree in Pharmacy **or** Pharmaceutical Sciences **or** Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by Law as prescribed in Rule 49 of the Drugs and Cosmetics Rules 1945.

Knowledge of Hindi language in devnagri script (lipi) - to read, to write and to speak

#### 2. Other qualification

Knowledge of Hindi language in devnagri script (lipi)

#### 3. Age limit

Minimum 21 years and maximum 45 years (as on the date of DCO Recruitment Examination 2013).

The relaxation in upper age limit for reserved category candidates in Rajasthan shall be applicable as per state government rules.

#### APPLICATION PROCEDURE

Before filling the on-line application form, read the notification, information booklet etc. carefully. Ensure the eligibility and other requirements / criteria for recruitment as given in this booklet.

You should be very careful in filling-up the on-line application form. If any lapse is detected during the scrutiny, your candidature will be rejected even if you come through the final stage of recruitment process or even at a later stage.

IMPORTANT: HAND WRITTEN/TYPED/PHOTOSTAT COPIES/PRINTED APPLICATION FORM/SCREEN PRINTOUT WILL NOT BE ENTERTAINED.

Follow the steps as given in "Instructions to fill up on-line application form" available at the website.

In case you have any difficulty while filling on-line application form, send email to Helpline at ruhsdco@gmail.com

On filling Part I of the application form, you can print Bank Challan form to deposit the application fee at any branch of Oriental Bank of Commerce and obtain the same with Bank Transaction ID.

Note the Form no. (User ID) for further steps. Keep it safe.

Ensure that Bank transaction ID is mentioned on all the three slips (by the branch of Oriental Bank of Commerce where you deposit the application fee using your bank challan).

After payment of application fee you can access to Part II of the on-line application form by entering your Form no. and date of birth.

#### **EXAMINATION**

The syllabus for the on-line examination is available at the RUHS website.

#### The date of on-line examination shall be notified in due course.

There shall be 100 multiple choice questions of one mark each. There shall be no negative marking.

The RUHS reserves the right to create cities / centre(s) for examination and also to call the candidates for the examination at any city / centre.

The details relating to conduct of the examination shall be available at the RUHS website in due course.

Candidates trying to use unfair means shall be disqualified from the recruitment. No correspondence whatsoever will be entertained from the candidates.

You should make sure of your eligibility to the post and that the declaration made by you in the format of application regarding your eligibility is correct in all respects. You will be liable to any legal action and / or termination from the services as may be deemed fit by the appointing authority, Govt. of Rajasthan, Jaipur in case it is found that you have furnished in-correct information or made false declaration regarding your eligibility at any stage or suppressed any information.

The jurisdiction for legal cases arising out of the recruitment process shall be limited to the competent courts at Rajasthan only.

The decision of the RUHS in all aspects and all respects pertaining to the application and its acceptance or rejection as the case may be, conduct of examination and at all consequent stages culminating in the selection or otherwise of any candidate shall be final in all respects and binding on all concerned.

RUHS reserves its right to alter and modify time and conditions laid down in the notification for conducting the various stages up to selection, duly intimating details thereof on the RUHS website, as warranted by any unforeseen circumstances arising during the course of this process, or as deemed necessary by the RUHS at any stage.

### राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

प0 9(24)चिस्वा / 2 / 2011 रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वस्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

राजस्थान, जयपूर।

दिनांक 3 - 7 - 13

िषयः— औषधि नियंत्रण अधिकारियों के 20 पदों पर सीधी भर्ती हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए—॥/86 दिनांक 6.9.2011 (42/2011) जिसके द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 एवं एफ.1(2)डीओपी/ए—॥/86 दिनांक 6.9.2011 (43/2011) के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग(कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 में संशोधन किये गये है।

उक्त संशोधनों के फलस्वरूप औषधि नियंत्रण अधिकारियों एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अन्य पदों की भर्ती विभाग के स्तर पर राजस्थान स्वरथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से संवीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर की जानी है।

अतः विभाग में औषधि नियंत्रण अधिकारियों के 20 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करावे। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण पताका अ पर संलग्न तथा उक्त पद अंकित आरक्षण की रिथिति के अनुसार भरे जाने है। संलग्न:— उपरोक्तानुसार (अर्थना —2 सेट)

भवदीया,

(अल्पा चौधरी) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्यय भवन,तिलक मार्ग, राज०, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

8 7 1 B

। सहायक शासन सचिव

## सीधी भर्ती हेतु अर्थना पत्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिये औषधि नियंत्रण अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु।

1(क) पद का नाम (हिन्दी) में

औषधि नियंत्रण अधिकारी

पद का नाम (अंग्रेजी) में

Drug Control Officer

(ख) भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या

20

पदों का आरक्षण:--

र्गा क	सीमान्य	महिला	योग
1. अनुसूचित जाति	03	01	04
ा. अपुर्याचरा जारा	02	_	02
2. अनुसूचित जनजाति		01	04
3 पिछड़ा वर्ग	03		10
4. अनारक्षित सामान्य	07	03	
वर्ग		0.5	20
कुल	15	05	20

(ग) भरे जाने वाले पद/पदों का रिक्ति वर्ष

- 20पद(नवसृजित,वर्ष 2012–13)
   (परिशिष्ट–1)
- विशेष योग्यजन —01
  (ओ.एल.
  /ओ.ए.)
- यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विकलांग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावे या उक्त जातियों के अभ्यार्थियों से ही भरा जावे स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। यदि आरक्षित जाति के अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो सामान्य अभ्यार्थी से भर दिये जावे।

निर्धारित रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदों को भरा जाना प्रस्वावित हैं।

नोट:— अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये आरक्षित पदों की कुल स्पष्ट संख्या रोस्टर प्रणाली के आधार पर उपरोक्त भाग में अंकित करने का उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का होगा।

(क) पद राज्य सेवा का अथवा अधीनस्थ सेवा का है :- राज्य सेवा

(क) पद राज्य सेवा की अथवा अधानस्थ रापा पन ए (ख) पद किस सेवा नियम के अंतर्गत भरा जाना है :— राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963

> चित्रक श्रोषधि नियन्त्रक राजस्थान, जयपुर

पद अथवा पदों की प्रख्यापित (Prescribed) सेवा नियमों के शिड्यूल में अस्थाई रूप से यदि समाविष्ठ किया गया हो तो उस आदेश एवं अस्थाई शिड्यूल की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।

X

**७(ग) पद स्थाई है अ**थवा अस्थाई:--

अस्थाई

(ण) यदि अस्थाई है तो:-

**्रिप्त अस्थाई स्वीकृति की अ**वधि कब तक

31 मार्च 2013

्या पर अनिश्चित काल तक बने एहने की संभावना है:-

जी हाँ

3-क्या पद स्थाई होने की संभावना है:--

जी हॉ

(ग) क्या पदों पर तदर्थ नियुक्ति/नियुक्तियां की हुई है, यदि हां तो क्या उनकी नियुक्तियां प्रख्यापितसेवा नियमों के अंतर्गत नई भर्ती (अल्पकालीन विज्ञापन/ पदोन्नित/स्थानांतरण/संविदा (Contract) द्वारा की गई है, कृपया स्पष्ट उल्लेख करे

जी नहीं

(घ) पद पर कौन कार्य कर रहा है/रहे थे/रहे हैं तथा अथर्ना के साथ उनकी सूची संलग्न करें

शून्य (नव सृजित पद)

(ङ) पद/पदों के रिक्त होने का कारण

नव सृजित पद

4 योग्यताएं:-- अनिवार्य (हिन्दी) में अनुभव

(क)

Qualification (Essential) & Experience in 1 English

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियमो की प्रति संलग्न (परिशिष्ट—2)

(ख) न्यूनतम योग्यत (हिन्दी) में

 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम
 1945 के नियम 49 के अनुसार (परिशिष्ट-3)

> Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University extablished in India by Law.

2. देवनागरी लिपि हिन्दी लिखने व पढने का व्यवहारिक ज्ञान



- कि । गृहि भोग्यता में सगकक्ष योग्यता भी हो तो इन समकक्ष योग्यताओं की सूची संलग्न
  - धि भोग्यताओं में गान्य संस्थाएं संबंधित हो तो उन समस्त मान्य संस्थाओं की सूची
  - विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख हो तो प्रशिक्षण का पूर्ण उल्लेख करें कि यह किस प्रकार का हो तथा कहां से प्रशिक्षण लिया गया है।

DAY SALEMENTALIE

- वेतनमान 15600-39100(ग्रेडपे 5400) पे बैण्ड-3
- राणस्थान ् सिविल साविशेण(रिवाइण्ड पे) फल्स 2008 के नियम 21 के तहत परिवीक्षा अवधि में नियत पारिश्रमिक (Fixed) 16800 / — प्रतिमाह देय होगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाअवधि होने पर चालू वेतन बैंड़ में वेतन नियतन किया जायेगा।
- 3. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाऐं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय। अंशदायी पेंशन योजना परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

जी नहीं

अग्निम वेतन वृद्धि / उच्च वेतन कितना व किन परिस्थितियों में:-

आयु (क) आयु सीमा – न्यूनतम एवं अधिकतम

21' वर्ष न्यूनतम एवं 45 वर्ष अधिकतम। (राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत। (राज्य सरकार के पत्र प016(2)चिस्वां / ग्रुप-2 / 2001 दिनांक 31.01.2012 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की गई है)

(ख) अधिकतम आयु सीमा में छूट

- 1 सामान्य महिलायें एवं एस०सी०/एस०टी०/ ओ०बी०सी (पुरूष) :- 5 वर्ष
- 2 भूतपूर्व सैनिक 50 वर्ष की उम्र तक।
- 3 विधवा एवं तलाकशुदा महिलायें- कोई आयु सीमा
- 4 एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी (महिलाय)ं :--10
- 5 निशक्तजन को आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी

की जा रही हैं

पद / पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं) मे :--

7

ार्गात गर्न के अवधि परिवेक्षा काल एएएए) प्रतिकृष (देविय) विभागीय परीक्षा, पा आयरयक हो तो उसका विवरण ह्या भव भेरान योग्य है :--

**ा अन्तर्गत** अन्तर्गत आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थि / अभ्यार्थियों की नियुक्ति की दिनांक से कार्यभार संभालना है

अन्य सुविधायें यथा निशुल्क निवास विद्यत-जल इत्यादि

फार्निक विभाग की अधिसूचना के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दो से अधिक रि हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शासन सचिवालय के परिपत्र क्रमांक : प.6 (19) गृह—13/2006 दिनांक 22.6.06 के ापार, शांजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण पूर्णतः संबंधित सेवा नियमों यथा राज्य सेवा में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों {Standing Instructions} के अनुसार है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता, कार्यालय अनुदेशों {Exectutive Instructions) के अनुसार अर्थना प्रपत्र भेजने के लिए सक्षम है।

औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 व नियम 1945, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, ड्रग एण्ड मेजिंक रेमेडिज(ओब्जेक्शनेबल एडवरटाइजमेंट) एक्ट, आदि के तहत परिभाषित समस्त कार्य। राज्य के किसी भी जिले व तहसील पर सरकार द्वारा निर्धारित, जहां पर पद स्रजित हैं। दो वर्ष (फिक्स वेतन) परीवीक्षा काल

में किसी प्रकार की विभागीय परीक्षा अथवा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं। जी नहीं, केवल अंशदान पेंशन योजना लागू।

नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी होनें कीं तिथि से अधिकतम एक माह की अवधि में। जी नहीं

(डी० के० श्रॅगी) भ्रौषध्रि, नियंत्रक क्षेत्र भवन, तिलक भार्ग राजस्थाजयपुर्यथय

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पद नाम व मोहर

~ × × ×

# एवं स्वास्थ्य भेगाविक ११८३

Senior Post		DRUG CONTROL ORGAN	IIGATION 6	7
Drug Controller  Dy. Director  Assistant Drug Controller  Drug Analyst  Consumer Protection (Drug Control)  JINIOR POST	100% by Promotion	Asstt. Drug Controller Drug Analyst  Drug Inspector Assistant Drug Analyst Legal	5 years Experience on the post mentioned in Col. 5. 5 years experience on the post mentioned in Col. No. 5. Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5. Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5. Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5. Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5.	)
Drug Inspector  dded vide Notification No.	ruitment Rules,	scribed in Rule 49 of ug and Cosmetics 1945 as amended from time.		

<sup>8.</sup> Added vide Notification No. F. 1(2) DOP/A-II/86, dated 2-8-1995, effective from the date of 26-8-1985 except the S.No. 10 (w.e.f. 13-4-1992). Substituted Vide Notification No. F.1 (2) DOP/A-II/86, dated 18-4-1998 (18/98), for :-

Promotion

Controller/Drug Analyst

Five Years experience on the post mentioned in Col. No. 5.

For the purpose of promotion the inter-lacing of Assistant Drug Controller and Drug Analyst shall be on the basis of length of continuous service after regular selections. If length is equal the drug Analyst shall rank junior as he is coming from another change

औष्धि नियंत्रक

राज्ञ , जयपुर